GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI,
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF EXCISE, ENTT. & LUXURY TAX,
L-BLOCK, VIKAS BHAWAN, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

No.F.1/Ex/PQ/2021-22/ 2600 Dated: 30.12.2021

To,

The Deputy Secretary (Question Branch)
Delhi Vidhan Sabha Secretariat,
Govt. of NCT of Delhi,
Old Secretariat, Delhi-110054.

Sub: Reply with respect to Un-starred Question No.170 raised by Sh. Vijender Gupta.

Sir,

Please refer to your letter No.F11(B-1) VI/2020-25/VSS/PB/280 dated 25.12.2021 on the subject cited above. I am to enclose herewith reply of the above mentioned question.

This issues with the prior approval of the Competent Authority.

Encl: As above.

ASSISTANT COMMISSIONER (PQ)

उत्तर देने के लिए निर्धारित प्रपत्र

विभाग का नाम : आबकारी, मनोरंजन, विलासिता विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
विभाग का पता : एल एंड एन ब्लॉक, विकास भवन, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

अतारांकित प्रश्नों की संख्या : 170
दिनांक : 04.01.2022
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री विजेन्द्र गुप्ता
क्या उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

प्रश्न	उत्तर
(क) शराब की सरकारी दुकानों को प्राइवेट कंपनियों को सौंपने के पीछे दिल्ली सरकार का उद्देश्य क्या है, स्पष्ट करें	आबकारी नीति 2021–22 के तहत सरकारी दुकानों को बंद किया गया है तथा उतनी ही संख्या में प्राइवेट दुकानों को खोलने का प्रावधान है। विगत के कुछ वर्षों में प्राप्त आबकारी विभाग के आँकड़ों के अनुसार यह पाया गया कि दिल्ली में नकली शराब /नॉन ड्यूटी पेड शराब की बिक्री के काफी मामले सामने आए थे जिस पर विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए पिछले पांच वर्षों में लगभग 17,58,049 अवैध शराब की बोतल जब्त की गई और दोषियों पर उचित कार्रवाई की गई। इस प्रकार की अवैध शराब की बिक्री से कई लोगों की जान जा सकती है और इससे राजस्व का नुकसान भी है। आबकारी नीति 2021–22 का मुख्य उद्देश्य संभावित खून खराबी तथा राजस्व की हानि को रोकना है। आबकारी नीति 2021–22 के अन्य उद्देश्य यह भी हैं कि सरकार के लिए अधिकतम राजस्व का सृजन सुनिश्चित करना , दिल्ली में नकली शराब की बिक्री को खत्म करना और उपभोक्ता अनुभव को बदलना। अत्यधिक जटिल, अत्यधिक विनियमित आबकारी व्यवस्था को सरल बनाने के लिए एवं एक सरलीकृत शुल्क और मूल्य निर्धारण तंत्र स्थापित करने के लिए, जिसकी समीक्षा समय–समय पर की जा सके। उद्योग में जिम्मेदार व्यापारियों को व्यापार करने की अनुमति देना तथा किसी को एकाधिकार या कार्टेल के गठन की अनुमति नहीं देना। सभी वार्डों/क्षेत्रों में अधिकृत शराब की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ताकि दिल्ली में नकली/नॉन ड्यूटी पेड शराब की समस्या को समाप्त किया जा सके।
(ख) दिल्ली रिहायशी इलाकों में नई शराब की दुकानें खोलने से महिलाओं और बच्चों को होने वाली परेशानी को दूर करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं	आबकारी नीति 2021–22 के अंतर्गत शराब व्यापारियों द्वारा कानून एवं व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित का पालन करना अनिवार्य है– 1.सभी दुकानों को इस प्रकार डिजाइन किया जाएगा कि शराब की बिक्री दुकान के अंदर से हो तथा ग्राहकों को वाक इन सुविधा मिल सके। 2.सभी दुकानों में शीशे के दरवाजे लगाना अनिवार्य है। 3.सभी दुकानों में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। 4.सभी दुकानों के अंदर एवं बाहर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है, जिसकी रिकार्डिंग कम से कम एक माह तक सुरक्षित रखना अनिवार्य है। 5..दुकानों के आस–पास, विक्रेता द्वारा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना अनिवार्य है।

	6.लाइसेंसधारी, कानून–व्यवस्था और आसपास की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। 7.यदि दुकान पड़ोस के लिए परेशानी का कारण बनती हैऔर सरकार को इसकी शिकायत प्राप्त होती है तो उस दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। 8.जोनल लाइसेंस को नवीनीकृत करने के लिए लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस मापदंडों का अनुपालन और आस–पास के क्षेत्रों में कानून–व्यवस्था की स्थिति एक महत्वपूर्ण पैरामीटर होगा। 9.यदि लाइसेंसधारी द्वारा उपरोक्त शर्तों एवं नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरूद्ध उचित एवं कठोर कार्रवाई की जाएगी।
(ग) क्या दिल्ली सरकार ने आवासीय क्षेत्रों में शराब की नई दुकानें खोलने से पूर्व वहां की आवासीय कल्याण समितियों तथा महिला संगठनों से कोई अनुमति ली है	एक्साइज नीति 2021–22 में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
(घ) यदि हां तो अनुमति कापी प्रस्तुत करें और यदि नहीं ली गई तो कारण बताएं	उपरोक्तानुसार
(ङ.) क्या पिंक शराब की दुकानें खोलकर दिल्ली सरकार महिला सुरक्षा की राह बना रही है; और	एक्साइज नीति 2021–22 में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
(च) यदि हां तो किस प्रकार, पूर्ण विवरण दें	उपरोक्तानुसार

हस्ताक्षर

( )

आयुक्त (आबकारी)

ARAVA GOPI KRISHNA
IAS
Commissioner Excise
Entt. & Luxury Tax
Govt. of NCT of Delhi
Vikas Bhawan, New Delhi-2